



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042026-271736  
CG-DL-E-11042026-271736

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1772]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2026/चैत्र 20, 1948

No. 1772]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2026/CHAITRA 20, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2026

का.आ. 1841(अ).— केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कच्चा तेल/ गैस परिवहन के लिए 8"Ø एचपी गैस लाइन सीपीएफ गांधार से जी.एन.ए.क्यू जी.जी.एस तक ऑइल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इस से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, 21 दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाई जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी, ऑइल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कैम्बे परिसंपति, पोस्ट कंसारी, खंभात - 388630 (गुजरात) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

## अनुसूची

जिला : भरुच				राज्य : गुजरात		
क्रमांक	तालुका का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>8"Ø एचपी गैस लाइन सीपीएफ गांधार से जी.एन.ए.क्यू जी.जी.एस तक</b>						
1	आमोद	वालिपोर	18	00	03	45
			19	00	03	60
			20	00	08	40
			25	00	09	75
			72	00	01	20

[फा. सं. इएक्सपीएल-13011(26)/44/2025-इएक्सपीएल- पीएनजी(ई-5469)]

रघुराम कृष्णा, अवर सचिव

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th April, 2026

**S.O. 1841(E).**—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Crude Oil / Gas from **8"Ø HP GAS LINE FROM CPF GANDHAR TO GNAQ GGS** should be laid by Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the genral public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, Oil and Natural Gas Corporation Ltd., (Ankleshwar Asset), Post. Ramnagar, Bharuch - 393001 (Gujarat)

**SCHEDULE**

District : Bharuch				State : Gujarat		
Sl. No.	Name of the Taluka	Name of the Village	Survey No.	Area		
				Hect	Are	Sq.Mt.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>8"Ø HP GAS LINE FROM CPF GANDHAR TO GNAQ GGS</b>						
1	Amod	Valipor	18	00	03	45
			19	00	03	60
			20	00	08	40
			25	00	09	75
			72	00	01	20

[F. No. Expl-13011(26)/44/2025-EXPL-PNG (E-54691)]

REGHURAM KRISHNA, Under Secy.